मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2015 (फाल्गुन 5, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. स्वागत उल्लेख

प्रसिद्ध भागवत कथावाचक, श्री देवकी नंदन ठाकुर की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से स्वागत किया गया.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 94 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 80 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की एम.पी.पी.एस.सी की परीक्षाओं में अनियमितता होने,
(2) श्री अजय सिंह, सदस्य की प्रदेश में ध्रुपद समारोह का आयोजन किये जाने,
(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में कराहल से भैंसरावन तक की सड़क का निर्माण पूर्ण न होने,
(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर शहर में व्यस्ततम मार्गों पर चल समारोह तथा निकलने वाली बारातों पर प्रतिबंध लगाये जाने,
(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल स्थित गांधी मेडीकल कालेज में स्टाफ की कमी होने,
(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिला चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने,
(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली में मुहली से गिड़वानी मार्ग का निर्माण न होने,
(8) श्री गोपीलाल जाटव, सदस्य की गुना जिले में ग्राम पंचायत भवन में पानी की टंकी का निर्माण किये जाने,
(9) श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य की गुना की ग्राम पंचायत आवन से बदरपुर का रास्ता ठीक कराये जाने तथा
(10) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की जौरा क्षेत्र में चंबल नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

4. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री दुर्गालाल विजय तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण ने श्योपुर में जिला सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थापित न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) डॉ. रामकिशोर दोगने एवं श्री बाला बच्चन, सदस्यगण ने हरदा जिले के ग्राम पोखरनी में आंधी तूफान से फसलों को क्षति होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई:-

(1) श्री इंदरसिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(2) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(3) श्री उमंग सिंघार (जिला- धार)

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 24 फरवरी, 2015 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक , 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015)	1 घंटा 30 मि.
2.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक,2015 (क्रमांक 2 सन् 2015)	30 मिनिट

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी उपाध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 18 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर, दिनांक 20 एवं 23 फरवरी, 2015 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी भाग लिया गया :-

(19) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(20) डॉ. मोहन यादव
(21) श्री के.पी. सिंह
(22) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर

(अपराह्न 1.00 से 2.33 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(23) श्री बाला बच्चन
(24) श्री राजेन्द्र पाण्डेय

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(25) श्री सुखेन्द्र सिंह
(26) श्री दिलीप सिंह परिहार
(27) श्री रामनिवास रावत
(28) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(29) श्री जितू पटवारी
(30) श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारम्भ किया.

8. गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी एवं कार्यवाही में व्यवधान किया जाना

श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य गर्भगृह में आकर अपनी बात कहने लगे. अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर वे अपने आसन पर वापस गए.

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के उत्तर में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न किया गया तथा सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित किया जाता रहा. अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्ष के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि माननीय सदन के नेता को भाषण पूरा करने दें और अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाए.

9. व्यापम मामले को लेकर कांग्रेस पक्ष द्वारा लगातार सदन की कार्यवाही वाधित करने सम्बन्धी संसदीय कार्य मंत्री की व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देना प्रारम्भ किया गया. इस दौरान इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा लगातार व्यवधान उत्पन्न करने पर डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह व्यवस्था पर प्रश्न उठाया गया कि -

"सदन के नेता को बोलने से रोकना उचित नहीं है, यदि इसी प्रकार उन्हें बोलने से रोका जाएगा तो कांग्रेस के सदस्यों को भी हम बोलने नहीं देंगे. इससे एक संवैधानिक संकट पैदा होने वाला है. प्रतिपक्ष के सदस्यों का सदन की इस तरह कार्यवाही में व्यवधान से अन्य सदस्यों के जनहित के मुद्दे उठाने का अधिकार का हनन एवं सदन के नेता के अधिकार का हनन हुआ है. कृपया अध्यक्ष महोदय आप इस पर व्यवस्था दीजिए. डॉ. नरोत्तम मिश्र ने यह भी कहा कि वे कल से यह बात कह रहे हैं, आपकी व्यवस्था आ जाय, यह अनुरोध है"

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - "मुझे दु:ख है कि बार-बार एक ही मामले पर सदन को लगातार बाधित किया जा रहा है. अगर मैं व्यापम मामले पर त्रयोदश विधान सभा में मिले अवसरों को छोड़ भी दूं, तो चतुर्दश विधान सभा का जो पहला सत्र माननीय सदस्यों के शपथ ग्रहण के सम्बन्ध में आहूत किया गया तथा, उस सत्र में भी माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही को बाधित किया और व्यापम मामले में स्थगन और ध्यानाकर्षण लेने की बात कही, जबकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम था, कि वह सत्र सिर्फ माननीय सदस्यों की शपथ ग्रहण के लिए था, उसमें अन्य कोई विषय लिया ही नहीं जाना था. अगला सत्र मार्च में हुआ, उस सत्र में भी सी.बी.आई. जांच की मांग करते हुए बार-बार सदन में व्यवधान उपस्थित किया गया और प्रश्नकाल को लगातार बाधित किया गया.

मुझे स्मरण है कि इस मार्च सत्र में व्यापम से संबंधित प्रश्न मौखिक चर्चा में भी आए थे, तब भी प्रतिपक्षी सदस्यों ने प्रश्नों पर चर्चा करने के बजाय व्यवधान को ही चुना. अर्थात् अवसर उपलब्ध होते हुए भी प्रतिपक्षी सदस्यों ने चर्चा के बजाय व्यवधान को चुना.

आप सभी को विदित है कि व्यापम मामला न्याय-निर्णयाधीन है, इस मामले में मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय की निगरानी में S.I.T. द्वारा जांच की जा रही है और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में S.I.T. की कार्यवाही पर भी एक निगरानी समिति जस्टिस श्री चंद्रेश भूषण की अध्यक्षता में बनाई है. आप यह भी जानते हैं कि अमूमन बजट सत्र में स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जाता. इन सब स्थितियों के बावजूद, मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, जुलाई सत्र, जो बजट सत्र था, के प्रारंभ में ही व्यापम मामले पर स्थगन पर चर्चा की अनुमति दी थी. ग्राह्य स्थगन पर 2 एवं 3 जुलाई को लगातार चर्चा हुई. प्रतिपक्षी सदस्यों ने अपनी बात विस्तार से रखी और सदन के नेता के ऊपर आरोप भी लगाए, लेकिन जब सदन के नेता ने उसका जवाब देना चाहा, तो न केवल उनके भाषण में व्यवधान उपस्थित किया गया, वरन बाद में उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया और अंतत: उन्हें लिखित उत्तर सदन के पटल पर रखना पड़ा, जो निश्चित ही दु:खद स्थिति थी. इस विधान सभा के नियमों के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं, यदि प्रतिपक्षी सदस्य सदन के नेता पर सिर्फ आरोप लगाएं और उन्हें न सुना जाय या बोलने न दिया जाय, तो यह किसी भी दृष्टि से संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है और अप्रजातांत्रिक है. प्रतिपक्षी सदस्य सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं.

सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री और शासन को सुनना नहीं चाहते. माननीय उच्च न्यायालय की कार्यवाही, S.I.T. की कार्यवाही पर भी वे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं. निगरानी समिति पर भी उनको विश्वास नहीं है, तो आखिर वे कैसी व्यवस्था चलाना चाहते हैं ? सदन के नेता और कुछ प्रतिपक्षी सदस्यों ने इसी सत्र में व्यापम मामले पर माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य की मांग की, इसके बावजूद आप माननीय मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देना चाहते, क्या यह आपकी मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता ? सदन में प्रतिपक्ष के सदस्यों की रूचि यदि सिर्फ आरोप लगाने तक ही है, तो यह बहुत ही दु:खद है. इस देश के कानून में हर व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर दिया जाता है, लेकिन प्रतिपक्षी सदस्य नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को भी नजर-अंदाज कर रहे हैं और लगातार चतुर्दश विधान सभा का प्रत्येक सत्र बाधित हो रहा है. सदन को यह बताना मेरा दायित्व है, जिस प्रकार प्रतिपक्षी सदस्यों का अधिकार सदन में बोलने का है, उसी प्रकार का संवैधानिक विशेषाधिकार सत्ता पक्ष के सदस्यों का भी है. सदन की कार्यवाही लगातार और जान-बूझकर बाधित करना, अन्य सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन है. कतिपय सदस्य सदन में आपत्तिजनक सामग्री या कमण्डल और घंटी लेकर आयें, भिन्न-भिन्न पोषाकें पहनें, इससे सदन की छबि बिल्कुल भी नहीं बनती, इससे जनता में खराब संदेश जाता है और संसदीय व्यवस्था में आम जनता का विश्वास टूटता है. सदन जनहित के विषयों पर परस्पर चर्चा का सशक्त माध्यम है, परंतु सदन में प्रतिपक्ष के सदस्यों के इस तरह के आचरण से मैं दु:खी हूं और उनका आचरण मान्य संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है."

11. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (क्रमशः)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री का उत्तर जारी (पूर्ण)

(माननीय मुख्यमंत्री का उत्तर न होने देने के विरोध में सत्ता पक्ष के सदस्यगण द्वारा अपने स्थान से नारेबाजी की गई, जिसके प्रत्युत्तर में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा भी अपने स्थान से नारेबाजी की गई. अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल होने के बावजूद सदन की कार्यवाही लगातार जारी रही)

संशोधनों पर मत लिया गया.

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 5.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2015 (6 फाल्गुन, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 24 फरवरी, 2015